न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

तेजसिंह बनाम मोहनसिंह

किस्म मुकदमा धारा 223 मि० नं० 106/2018 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट पुरीलाल राठौर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-07-22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 05-08-22 को पेश हो। राकेश	
05-08-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं इसलिए अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील विड्रा करने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः अपील As a withdraw खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। डॉ0 अनुपमा टेलर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	05-08-22 Withdrawal [illegible] 5/8/22 Withdraw Appeal 5/8/22 कोटा

न्यायालयः– भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा

अपील /टी0ए0 /18/झालावाड़

1– तंवरसिंह
2– लक्ष्मणसिंह
3– बनेसिह पिसरान कल्याणसिंह अकवाम राजपूत सकनाय भटखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान ---- अपीलार्थीगण

बनाम

1– मोहनसिंह आ0 हीरासिंह
2– महेन्द्रसिंह आ0 कल्याणसिंह
3– शाखा प्रबंधक , केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा खानपुर
4– शाखा प्रबंधक , एस बी आई बैंक खानपुर
5– उपपंजीयक , उपपंजीयक कार्यालय खानपुर
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर (राजस्थान)

---- प्रत्यर्थीगण

अपील बनाराजी निर्णय अन्तिम डिकी न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी खानपुर वाद संख्या .772 /2017 उन्वान तंवरसिंह बनाम मोहनसिंह

प्रारम्भिक डिकी दिनांक 22.2.18 को पारित की गई ।

अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

मान्यवर,

निवेदन है कि माननीय न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर द्वारा ग्राम भटखेड़ी की नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 –75 की खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 27 क्षैत्रफल 120–16 बीघा आराजी के संबंध में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिकी दिनांक 22.2.2018 के अनुसरण में अधिनस्थ तहसीलदार से बॅटवारा प्रस्ताव तलब किया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार में उचित न्याय शुल्क पर अपील निम्न कारणों से पेश कर रहा है :—

अपील के आधारः–

1– अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी न्याय तथा विधि के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरित होने से आदेश निरस्त होने योग्य हैं।

2– अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जोत के बॅटवारें से संबधित सुसगंत प्रावधानों का अध्ययन किये बगैर निर्णय व डिकी पारित की हैं।

3– अ– यह कि उक्त वादग्रस्त आराजी के खातें के संबंध में पक्षकारान में करीब 50 वर्षो पूर्व से ही मोके पर बंटवारा हो रहा है तथा सभी अपने अपने हिस्सें के अनुसार मोके पर काबिज होकर अपने हिस्से की आराजी को उपजाउ बनाया है तथा काफी सुधार कार्य किया है जिस कारण उक्त वाद में वादीगण द्वारा मोके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन की मांग की थी जिसके अनुसार अधिनस्थ न्यायालय को कब्जे की रिपोर्ट मंगवाने के उपरान्त यह कब्जें के अनुसरण में हक होने पर उसी के अनुसार डिकी पारित करनी चाहिए थी जो कि अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर प्रारम्भिक डिकी दिनांक 22.2.2018 के अनुसरण में अधिनस्थ तहसीलदार से बॅटवारा प्रस्ताव तलब